



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2419)

Name of Candidate	K Parikshit		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	683437
Center	MN	Date	11.Aug. 2023

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	
1	10		1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)। 2. There are TWENTY questions printed in HINDI & ENGLISH इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं। 3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए। 7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।
2	10		
3	10		
4	10		
5	10		
6	10		
7	10		
8	10		
9	10		
10	10		
11	15		
12	15		
13	15		
14	15		
15	15		
16	15		
17	15		
18	15		
19	15		
20	15		
Total Marks Obtained:			
Remarks:			

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. मुनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the role played by the Directorate of Enforcement in the investigation of offence of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मधीन आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली संस्था है।

★ ED को शक्ति प्रदान करने वाले कानून

- ① धन शोधन की रोकथाम कानून (PMLA-2002)
- ② विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA-1999)
- ③ भगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA)

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका

- ① उपरोक्त तीनों कानूनों के तहत ED को स्वतंत्र रूप से जांच करने, प्रबंध संपत्ति को जब्त करने तथा संदिग्धों से पूछताछ करने का अधिकार है।

- ② हाल ही में 'नेशनल हेराल्ड केस', SSC scam (पश्चिम बंगाल) आदि की जांच में ED की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हालांकि एड द्वारा बिगड़ गई भूमिका पर कुछ आरोप भी लगे हैं →

- ① विपक्षी प्लों के अनुसार सरकार द्वारा एड का इस्तेमाल विपक्षी राजनेताओं को धमकाने के लिए किया है।
- ② पिछले 8 वर्षों में 888 मामलों में कार्रवाई के बावजूद केवल 23 मामलों में ही सजा मिल पाई है। (दोष सिद्धि की निम्न दर)
- ③ एड को आर्थिक मामलों में असीमित शक्ति प्राप्त होना।

इस तरह देश में धनशोधन तथा विदेशी मुद्रा के कानूनों के उल्लंघन को रोकने में एड की महत्वपूर्ण भूमिका है। एड पर लगे आरोपों को दूर उर देश में संगठित अपराध के मामलों में कमी लार् जा सकती है।

2. भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है।
विश्लेषण कीजिए।

The Indian Constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उदार लोकतंत्र से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी व्यक्तियों को बहुआयामी विकास का मौका मिले तथा चुनी हुई सरकार 'विधि के शासन' के अधीन रहते हुए कार्य करे।

भारतीय संविधान में उदार लोकतंत्र के तत्व

- ① उद्देशिका में वर्णित 'न्याय' की अवधारणा → इसके

तहत देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया है।

- ② मूल अधिकारों के तहत 'विधि का शासन' → यह सरकार को 'तानाशाह होने से रोकता है तथा देश में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है।

- ③ समानता व स्वतंत्रता का मूल अधिकार → इसके तहत समानता सुनिश्चित करने के लिए 'समाजवादी कार्यवाही (ओरजण)' का प्रावधान करने के साथ

धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जाई है।

④ नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51 तक) →

ये देश में सामाजिक लोकतंत्र लाने के इच्छिकों से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

⑤ अन्य प्रावधान → इनके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था का अधिकार जैसे प्रावधान देश में 'उदार लोकतंत्र' की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस तरह भारतीय संविधान एक 'जीवंत दस्तावेज' के रूप में आज भी अत्यंत प्रासंगिक है तथा विकास के मामले में अंत में खड़े व्यक्ति के लिए भी आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है।

3. “समनुषंगिता के सिद्धांत” से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।

What do you understand by the “principle of subsidiarity”? Discuss its importance in the context of India. (Answer in 150 words) 10

‘समनुषंगिता के सिद्धांत’ के अनुसार अधिकांश कार्य नागरिकों के निकटतम शासन तंत्र अर्थात् स्थानीय शासन द्वारा किए जाने चाहिए।

यह सिद्धांत लोकतांत्रिक विवेकीकरण के सिद्धांत के अनुरूप ही इसमें उच्च सरकारों को कार्य तभी प्रत्याभोजित किए जाते हैं जबकि स्थानीय सरकार उन्हें करने में असमर्थ हो।

भारत के संदर्भ में महत्व

① लोगों की भागीदारी → स्थानीय शासन द्वारा अधिकांश कार्य करने व उसकी नागरिकों से निकटता के चलते लोगों की भागीदारी बढ़ती है।

② प्रशासनिक व आर्थिक दक्षता → चूंकि स्थानीय शासन लोगों की समस्या से अच्छी तरह बहिन होता है अतः प्रशासन की दक्षता बढ़ती है।

- ③ कार्य व जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होता है → क्योंकि उच्चस्थ सरकारों को वही कार्य प्रत्यापोजित किए जाएंगे जिन्हें स्थानीय सरकार वही कर पाती।
- ④ जबाबदेही तय करना आसान → क्योंकि कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है।
- ⑤ 'सामाजिक अंकुरण' की संभावना बढ़ जाने से संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो पाता है।

भारत में 13वें व 75वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अपनाया गया है। हालांकि स्थानीय इकाइयों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर इन्हें दृढ़ बनाया जा सकता है।

4. "मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन करना नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाकर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है, जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।" चर्चा कीजिए।

"The moral value of fundamental duties would not be to smother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights". Discuss. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन की मदद से 1976 में स्वर्ण सिंह सिफारिश समिति की सिफारिश पर 'मूल कर्तव्यों' को अनुच्छेद 51A के तहत संविधान में शामिल किया गया।

मूल कर्तव्यों से लोकतांत्रिक संतुलन की स्थापना

- ① मूल कर्तव्यों के अभाव में केवल मूल अधिकारों की उपस्थिति समाज में अराजकता पैदा करती है।
- ② किसी व्यक्ति द्वारा मूल अधिकारों का प्रयोग ग़री किया जा सकता है जबकि अन्य अपने मूल कर्तव्यों का पालन कर रहे हों।
- ③ मूल कर्तव्य मूल अधिकारों के पूरक के रूप में उन्हें संपूर्णतः प्रदान करते हैं।

④ कुछ मूल कर्तव्य जैसे 'भारिचारे डी भावना' को बढावा देना, समरसता सुनिश्चित डरना आदि समाज में सौहार्ड को बढावा देकर समानता के मूल अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।

⑤ 'अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21A के तहत प्रदान मूल अधिकार का पूरक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का समन न करने एक लोभवाँत्रिक सैतुलन सुनिश्चित करते हैं।

5. क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Do you think the exercise of delegated legislation by the executive goes against the principle of separation of powers? Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य विधायिका द्वारा प्रदान किए गए विधायी ढांचे के तहत कार्यपालिका द्वारा नियम, उपनियम बनाकर विधायी कार्य संपन्न करने से है।
प्रत्यायोजित विधान के बढ़ते उपयोग के चलते इसे शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध माना जाने लगा है।
→ क्योंकि →

- ① विधान निर्माण का कार्य 'विधायिका' का है न कि कार्यपालिका का।
- ② यह प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण को कम करता है।
- ③ यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि जिसके द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए वही नीति निर्माण भी कर रहा है।
- ④ यह 'कैबिनेट डेविनेट की ताबशाही' को

बतावा देता है।

हालांकि प्रत्‍यायोजित विद्यान पूरी तरह शक्ति प्रचक्रण के विरुद्ध रही है। क्योंकि →

- ① कार्यपालिका, विधायिका द्वारा प्रदत्त ढाँचे के अधीन रहकर ही विद्यान बना सकती है।
- ② नियमों, उपनियमों पर सैंसट में चर्चा की जा सकती है।
- ③ यह विधायिका पर बड़े कार्यभार को कम करने में सहायक है।

इस तरह यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि अनावश्यक प्रत्‍यायोजन से बचा जाए तथा कार्यपालिका विधायिका द्वारा निर्धारित ढाँचे से बाहर जाकर निम्न उपनियम न बनाए।

6. दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।
A key factor behind poor governance is a system of thinking and working in silos. Discuss in the context of public services in India. (Answer in 150 words). 10.

एकाकी कार्य प्रणाली से तात्पर्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी प्रणाली से है जिसमें विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं का न्यूनतम आदान-प्रदान किया जाता है।

एक ढर्रे में सोचने की आदत व एकाकी कार्य प्रणाली के दुष्परिणाम →

- ① इससे विभाग में नवाचार की संस्कृति नहीं बन पाती है।
- ② कार्यों का दोहराव बढ़ता है → क्योंकि विभिन्न विभागों में आपसी संपर्क का अभाव होता है।
- ③ विभिन्न विभागों में अंतर्निष्ठा में कमी आती है।
- ④ प्रतापी कार्य संस्कृति के चलते लोक सेवाओं जनोन्मुख नहीं बन पाती।

क्या किया जाना चाहिए

- ① विभिन्न विभागों के बीच नियमित आधार पर सूचकांकों का आदान-प्रदान किया जाए।
- ② डिजिटल इजेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि नवाचारों को बढ़ावा मिले तथा कार्य में पारदर्शिता लाने जा सके।
- ③ कार्य का स्पष्ट विभाजन किया जाए ताकि दोहराव से बचा जा सके।

इस तरह लोक सेवाओं को जनोन्मुख बनाने के लिए यह जरूरी है कि नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।

7. असुरक्षित गर्भपात भारत में महिलाओं के प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए और उपचारात्मक उपाय भी बताइए।

Unsafe abortions are a critical issue affecting the reproductive and maternal health of women in India. Identify the reasons behind the same and suggest remedial measures as well. (Answer in 150 words) 10

भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण
प्रतिदिन 8 महिलाओं की मौत हो जाती
है साथ ही यह भविष्य में उनकी गर्भधारण
की क्षमता को भी कमजोर करता है।

असुरक्षित गर्भपात के कारण

- ① गर्भनिरोधकों तक कम व असमान पहुँच →
इससे अवांछित गर्भधारण के मामले बढ़ते
हैं।
- ② अवांछित गर्भ से सामाजिक क्लंक का
जुगब → विवाह पूर्व गर्भधारण को सैय
दृष्टि से देखा जाता है।
- ③ पितृसत्तात्मक मानसिकता → कन्या भ्रूण हत्या
को बराबरी मिलता है।
- ④ यौन शिक्षा तथा पचास जागरूकता का
अभाव
- ⑤ जनसंख्या की बहुलता में डोमरे की कम

संस्था।

उपचारात्मक उपाय

- ① ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भनिरोधकों के प्रति जागरूकता बढ़ायी जाए।
- ② यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
- ③ उपलब्ध कानून → जैसे MTP Act का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- ④ प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या बढ़ायी जाए।
- ⑤ लोगों में व्यवसायात्मक परिवर्तन लाकर विवाह पूर्व गर्भधारण से जुड़े कलंक को समाप्त किया जाए।

इस तरह मातृत्व स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर भारत SDG-3 तथा SDG-5 की 2030 से तक प्राप्ति सुनिश्चित कर सकना है।

8. डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और उसकी बढ़नीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। इस संदर्भ में, देश को 'डिजिटल स्वास्थ्य' क्रांति के मुहाने पर लाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Digital healthcare has the potential to address the perennial issues pertaining to accessibility and affordability of healthcare in India. In this context, discuss the role of Ayushman Bharat Digital Mission in putting the country at the cusp of a 'digital health' revolution. (Answer in 150 words) 10

भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पहुँच व बढ़नीयता संबंधी कई समस्याओं से ग्रस्त है हालाँकि सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे उपायों से इनके समाधान का प्रयास किया गया है।

पहुँच व बढ़नीयता संबंधी मुद्दे

① ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। लगभग $\frac{3}{4}$ अबसंरचना शहरी क्षेत्रों में

② स्वास्थ्य सुविधाओं का अंतरा असमान वितरण → महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों व UTs में सैकड़ों ज्यादा

③ डॉक्टर जनसंख्या अनुपात WHO की निर्धारित सीमा (1:1000) से लगभग 10 गुना ज्यादा।

④ OOPEx (out of pocket expenditure) 50%.

से ज्यादा

में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से समाधान

① चिकित्सकों की डिजिटल पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनिश्चित हो सकेगी।

② 'टेली मेडिसिन' को बढ़ावा मिलेगा।

③ 'इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड' के कारण हेल्थ रिकॉर्ड को सँभालना आसान होगा।

④ हेल्थ को ट्रैक करने वाले Apps के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत उल्लेख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाकर लोगों के OOPD खर्च कम करने की दिशा में उचित कदम बढ़ाया है।

9. दक्षिण एशिया से एकमात्र G20 सदस्य के रूप में, भारत के लिए G20 का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया की आवाज को बलंद करने के लिए एक प्रभावी मंच के तौर पर इस समूह का उपयोग करने हेतु एक आदर्श अवसर है। टिप्पणी कीजिए।

As the only G20 member from South Asia, the G20 leadership is an ideal opportunity for India to use it as an effective platform to amplify South Asia's voice at the global stage. Comment. (Answer in 150 words) 10

वर्ष 2023 के लिए G-20 की अध्यक्षता भारत के पास है। अपनी अध्यक्षता में भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-2 दक्षिण एशिया की आवाज को भी उठा रहा है।

दक्षिण एशिया के समस्त कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भारत G-20 के समस्त उठाकर उनके निदान में योगदान डर सकता है →

① जलवायु परिवर्तन का प्रभाव → दक्षिण एशिया में श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देश जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित व सश्रेष्ठ देश हैं।

② आतंकवाद व रेडिकलाइजेशन की समस्या → पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव आदि देश इसके दुष्प्रभावों से ग्रसित हैं तथा

इससे इनके विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

③ आर्थिक एकीकरण → दक्षिण एशिया में आंतरिक व्यापार केवल 5% ही है। साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश आर्थिक संकर से गुजर रहे हैं।

④ समुद्री सुरक्षा → दक्षिण एशिया से होकर कई SLOCs (Sea Lane of Communication) गुजरती हैं अतः समुद्री डकैती से इनकी सुरक्षा जरूरी है।

इस तरह भारत 6-20 के अद्ययन के रूप में 'ग्रीन ग्रीथ' सुवर्जित समुद्री व्यापार जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण एशिया की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है।

10. भारत-यू.ए.ई. CEPA दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा भारत को इस क्षेत्र में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। चर्चा कीजिए।
The India-UAE CEPA will serve as a catalyst to bolster economic ties between the two countries and give India greater access to the region.
Discuss. (Answer in 150 words) 10

UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा दोनों के बीच 85 बिलियन \$ का व्यापार किया जा रहा है। इन्हीं मजबूत आर्थिक संबंधों का परिणाम भारत-UAE CEPA है।

दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूती

- ① इसके तहत अगले 5 वर्षों में व्यापार को बढ़ाकर 100 बिलियन \$ करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ② भारत के वस्तु निर्यात में शामिल लगभग 33% मर्चों के लिए सीमा शुल्क में कमी → इससे वस्तु व्यापार बढ़ेगा।
- ③ सेवा व्यापार के तहत भी ~~सीमा~~ अधिकतर सेवाओं को शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
- ④ रोजगार सृजन → क्योंकि भारतीय निर्यात में चमड़े के सामान, आभूषण जैसे कम

गहन सामान शामिल हैं।

क्षेत्र में भारत की व्यापक पहुँच

- ① इससे भारत को अन्य खाड़ी देशों जैसे कुवैत, कतर बहरीन आदि के साथ संबंध सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
- ② साँस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
- ③ क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

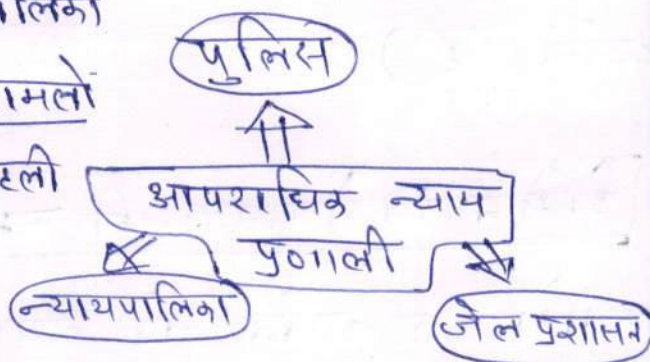
इस तरह भारत 'ग्लोक ग्लोबल' के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करके भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पाकिस्तान को कच्ची तेल की भी सप्लाई कर सकेगा।

11. एक दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति, और डोमेन विशेषज्ञता की कमी को भारतीय न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा कीजिए।
A dysfunctional criminal justice system, absence of well-considered legislation and need for domain expertise, are being seen as the new challenges for the Indian judiciary. Discuss. (Answer in 250 words) 15

बढ़ते वैश्विक परिदृश्य के साथ-साथ न्यायपालिका में भी नए परिवर्तन आए हैं फलस्वरूप इसके समझ कुछ नई चुनौतियाँ आ गई हैं →

① दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली →

① इसके चलते न्यायपालिका के समझ लंबित मामलों में हुई हुई हैं। (पहली बार लंबित मामले 5 करोड़ के पार)



② जेल में विचाधीन कैदियों का प्रतिशत लगभग 70% तक पहुँच गया है।

③ 'न्याय में देरी' के मामले बढ़ रहे हैं।

④ हिरासत में मौत की घटनाएँ बढ़ी हैं।

⑤ सुविचारित कानून की अनुपस्थिति →

- (a) कानून बनाते समय उसकी प्रामाणिकता पर कम विचार → फलतः न्यायपालिका पर कार्य का बोझ बढ़ता है।
- (b) कृषि कानूनों जैसे कानूनों में सभी रितधारकों की राय को शामिल न करने से न्यायपालिका के समझ वाहों की संख्या बढ़ती है।
- (c) अधिकांश मामलों में सुनार एक पत्र के रूप में शामिल (सुविचारित कानूनों के अभाव की दशा में है)
- (d) जैमैन विशेषज्ञता की कमी → नई-नई तकनीकों के चलते नई समस्याओं जैसे साइबर अपराध, डिजिटल चोरी, डीप फेक, आदि मामलों में न्यायाधीशों के पास विशेषज्ञता का अभाव है।

★ क्या किया जाए?

- (1) जेलों की दशा में सुधार लाया जाए जैसे open Jails, पुलिस में जॉब तथा लॉ एंड ऑर्डर

को अलग-अलग किया जाए। इस तरह आपराधिक न्याय प्रणाली के तीनों स्तरों में सुधार लाया जा सकता है।

② प्राधिकरणों का गठन → इसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए।

③ विधायिका द्वारा कानून बनाने समय उसकी प्रासंगिकता पर भी विचार किया जाए।

④ फास्ट ट्रैक डोर्ट्स (FTC) की संख्या बढ़ायी जाए।

⑤ न्यायपालिका में खाली पड़े पदों को निश्चित समय सीमा में भरने का प्रावधान किया जाए।

इस तरह न्यायपालिका की समस्याओं का समाधान कर लोकतंत्र के तीनों स्तरों (न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका) में संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

12. दल-बदल विरोधी कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को किस हद तक हल करने में सक्षम रहा है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

To what extent has the anti-defection law been able to address the issue of political instability in India? Discuss with suitable arguments. (Answer in 250 words)

15

भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची को समाहित कर दल-बदल विरोधी कानून लाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।

राजनीतिक अस्थिरता का मुद्दा किस हद तक सफल →

- ① सांसदों/विधायकों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता दल-बदल अवरोध घोषित। → इससे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
- ② इससे जनता द्वारा जताए गए विश्वास को कायम रखने में मदद मिली है (दल-बदल को रोक कर)।
- ③ इसे विधायकों/सांसदों की अपने राजनीतिक दल की नीतियों के प्रति निष्ठा सुनिश्चित

क्षेत्र में मदद मिली है।

हालाँकि महाराष्ट्र में शिवसेना
तथा राकांपा में हुए दल-बदल तथा मध्य प्रदेश
में कांग्रेस पार्टी में हुए दल-बदल ने इस
कानून में व्याप्त कमियों को उजागर
किया है जो निम्न हैं →

- ① दल का विलय → $\frac{2}{3}$ सदस्यों के दूसरी पार्टी
में विलय को दल-बदल नहीं माना जाता।
- ② सदस्य का पार्टी से निकासन भी
दल-बदल नहीं है।
- ③ पीठासीन अधिकारी द्वारा दल-बदल के
संबंध में निर्णय देने के लिए कोई निश्चित
समय-सीमा निर्धारित नहीं।
- ④ दल-बदल कानून प्रतिनिधियों की स्वतंत्र
अभिव्यक्ति को बाधित करता है।
- ⑤ 'हॉर्स ट्रेडिंग' के मामले अभी भी
जारी।

अतः समय के साथ दल-बदल
कानून में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत
है। जैसे -

- ① पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के लिए
समय-सीमा तय की जाए।
- ② प्रतिनिधियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी
दी जाए अर्थात् केवल सरकार गिरने जैसी
स्थिति में ही दल-बदल कानून लागू हो।

इन संशोधनों को शामिल
कर दल-बदल कानून को प्रभावी बनाकर
राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती
है।

13. भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघवाद के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन तंत्रों को रेखांकित कीजिए जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है।

Governance of inter-state rivers in India suffers from various issues due to conflictual federalism. Discuss. Also, highlight the mechanisms, which can be utilised to resolve inter-state river water disputes in India. (Answer in 250 words) 15

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद भारत में राज्य-राज्य संबंधों के प्रमुख मुद्दों में से एक है।
वैशाखा नदी जल विवाद, महादायी विवाद,
चावेरी विवाद आदि कुछ प्रमुख नदी जल
विवाद के उदाहरण हैं।

परस्पर विरोधी संघवाद के कारण समस्याएँ

① 71^{वीं} अनुसूची में 'कभी' अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद' संघ सूची जबकि 'जल' राज्य सूची का विषय है। अतः नदी जल का प्रयोग विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है।

② अनुच्छेद 262 के तहत जल प्राधिकरण के गठन का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है।

③ सरकार द्वारा प्राधिकरण को मामला ब्रेजवे में जकड़ने से ज्यादा समय लिया जाता है।

④ प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं → फलतः मामला लंबे समय तक प्राधिकरण में अटका रहता है।

अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए उपलब्ध तंत्र ⇒

① नदी जल अधिनियम, 1956 → इसके तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए प्राधिकरण के गठन की शक्ति केन्द्र सरकार के पास है।

② अंतर्राज्यीय नदी प्राधिकरण अधिनियम, 1956 → केन्द्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 262 द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्माण।

③ अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) → विभिन्न राज्यों के मुख्य विवादों की जांच करना तथा उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।

④ अंत्रीय परिषद अधिनियम, 1958 →

5 अंत्रीय परिषदों का गठन, जिनका मुख्य कार्य राज्यों के मध्य के विवादों को वातपीत के माध्यम से सुलझाना है।

इस तरह उपलब्ध तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए तथा 'नदी जोड़ों परियोजना' जैसे प्रोजेक्ट्स की मदद से उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है।

14. उत्तर-औपनिवेशिक दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय संविधान के उन मूलभूत पहलुओं का सविस्तर वर्णन कीजिए, जिनके संदर्भ में यह अपने समकालीन संविधानों से भिन्न था।

Elaborate on the fundamental aspects in which the Indian Constitution differed from its contemporaries despite being a post-colonial document.
(Answer in 250 words) 15

कैबिनेट मिशन (1946) के प्रावधानों के तहत गठित संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ।

यह अपने समकालीन संविधानों की तुलना में कई मूलभूत पहलुओं को धारण करता है →

① समकालीन संविधानों के विपरीत भारतीय संविधान में 'पंचनिरपेक्षता' को अपनाया गया जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में 'इस्लाम' को राजकीय धर्म घोषित किया गया।

② भारतीय संविधान में 'सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार' को आरंभ से शामिल किया गया जबकि अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों में इसे अपनाने में कई वर्ष लग गए थे।

④ भारतीय संविधान में मजबूत केन्द्र की ओर झुकाव के साथ संघवाद को अपनाया गया साथ ही विविधताओं को पर्याप्त सम्मान दिया गया जबकि पाकिस्तान व इंडोनेशियाई के संबंध में ऐसा नहीं था।

⑤ भारतीय संविधान में 'इदार लोक्तंत्र' को बहाल दिया गया जिसका परिणाम रहा कि भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत होता गया जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों को सैन्य शासन का सामना करना पड़ा।

⑥ पाकिस्तान, श्रीलंका के विपरीत भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को मूल अधिकारों के तहत (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 तक) संरक्षित किया गया है।

⑥ इनके अतिरिक्त भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, साथ ही इसमें लचीलापन व कठोरता के मध्य सँतुलन भी स्थापित किया गया है।

इस तरह भारतीय संविधान निर्मातार्थों के ~~उत्पत्ति~~ लगातार उत्पत्ति के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज बना हुआ है।

15. मुफ्त उपहार, विशेष रूप से चुनावों से पहले, समाज के लिए लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क दीजिए।
Freebies, especially ahead of elections, do more harm than good to the society. Do you agree? Give logical arguments in support of your answer.
(Answer in 250 words) 15

मुफ्त उपहार से तात्पर्य विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बार्सों के रूप में विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं को जनता के लिए मुफ्त में प्रेशकश करना है जैसे → मुफ्त बिजली, नकदी वितरण, त्रकन माफी आदि।

विभिन्न समाजशास्त्रियों तथा राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों के पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं →

- ① कमजोर वर्गों का कल्याण → इससे पिछड़े तथा आर्थिक रूप से दलज समुदायों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- ② सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।
- ③ संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

हालांकि मुफ्त उपहारों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है →

① राज्य की आर्थिक सैकेतों पर प्रभाव →

पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्रय-विक्रय अनुपात 33% से ज्यादा पहुँच गया है।

② अनुचित राजनीतिक लाभ → इससे सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है।

③ विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच 'मुफ्त उपहार' पेश करने की होड़ लग सकती है।

④ गलत प्रथाओं को बढ़ावा → ऋण माफी से बैंकों पर NPA का बोझ बढ़ने के साथ-साथ लोगों द्वारा समय पर ऋण भुगतान दलीलसाहित होता है।

❌

अतः विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा
मुफ्त उपहार की पैदावार से पूर्व यह
ध्यान रखना जरूरी है कि इसकी
आर्थिक लागत तथा सामाजिक प्रभाव
के बीच क्या अनुपात है ? तथा मुफ्त
उपहारों पर रोक लगायी जा सकती है।

16. भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

The Smart Cities Mission, which was launched to change the urban landscape of India has produced mixed results. Discuss. Also, highlight the challenges faced in executing the Mission. (Answer in 250 words) 15

शहरों की अवसंरचना को आधुनिक व स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन को 100 शहरों में शुरू किया गया। इसका शहरी अवसंरचना पर निम्न प्रभाव पड़ा है →

- ① बेंगलूर जैसे शहरों में स्मार्ट मैन्स की स्थापना जिनकी मदद से स्मार्ट यातायात प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ② मिशन के तहत उत्तापित आधी से अधिक परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूरा कर लिया गया है।
- ③ अन्य मिशन जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन आदि के साथ मिलकर शहरों में स्मार्ट अवसंरचनाओं को बढ़ावा।

हालांकि कुछ मामलों में यह मिशन
असफल रहा है। जैसे →

- ① 45% परियोजनाओं 7 वर्ष बाद तक
पूरी नहीं हो पाई हैं।
- ② सभी शहरों में स्मार्ट केन्द्रों की स्थापना
नहीं हो पायी है।
- ③ शहरों के समग्र विकास की बजाए कुछ
ही केन्द्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ④ सभी शहर शामिल नहीं किए गए हैं।

* मिशन को लागू करने में चुर्मुर्तियाँ

- ① फंड को समुचित उपयोग नहीं → कुछ
परियोजनाओं के लिए आवंटित fund का पूरी
तरह उपयोग नहीं किया गया है।
- ② समग्रता के अभाव के चलते विभिन्न केन्द्रों
के बीच समन्वय का अभाव।
- ③ शहरी स्थानीय स्वशासन के पास इसिद्धि

कार्यबल का अभाव।

- ④ अत्याधुनिक अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कौशल का अभाव।

अतः आवश्यकता शहरों के समग्र विकास की है ताकि शहरीकरण के कारण इनपर बढ़ते दबाव को आसानी से समायोजित कर सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

17. यह तर्क दिया गया है कि भारत में उद्यमिता परिवेश के समक्ष विद्यमान विभिन्न बाधाओं के बावजूद, भारत के भविष्य को इसके उद्यमियों द्वारा आकार दिए जाने की संभावना है। टिप्पणी कीजिए।
It has been argued that despite several hurdles faced by the entrepreneurship ecosystem in India, the future of India is likely to be shaped by its entrepreneurs. Comment. (Answer in 250 words) 15

वर्तमान में भारत अमेरिका तथा चीन के बाद स्टार्टअप के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए सुधार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है।

उद्यमिता परिवेश के समक्ष बाधाएं

- ① नवोन्मूलन की संस्कृति की अभाव।
- ② उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव
- ③ असफलता की स्थिति में उद्यम से निकलने के कठिन अवधान
- ④ नियामकीय बाधा → नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार व लालफीताशाही अतः जरूरी अनुमतियों को मिलने में देरी।

⑤ पर्याप्त शोध व विकास का अभाव।

⑥ इनव्यूबेशन सेंटर की पर्याप्त संख्या
का न होना।

⇒ उद्यमियों द्वारा भारत के भविष्य को आकार
देते →

① रोजगार के नए अवसरों का सृजन

② ~~जनसांख्यिक~~ 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' का फायदा
उठाते में सक्षम।

③ 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' को आकर्षित
करना जैसे अलीबाबा द्वारा निवेश।

④ 'निजी निवेश' को बढ़ावा मिलेगा।

⑤ देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

⑥ नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

हालाँकि भारत में अधिकांश
स्टार्टअप कनौटक, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे

मुख्य विकसित राज्य / PTs में ही
 अवस्थित हैं अतः उनके समतामूलक
 वितरण को सुनिश्चित करके तथा अन्य
 वाधायों को दूर कर भारत को अगले 5
 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी
 प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बचाया जा सकता है।

18. हालांकि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना ने लैंगिक भेदभाव पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह खराब कार्यान्वयन और निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है। चर्चा कीजिए।

Though the 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme has given much-needed attention to gender discrimination, it has failed to yield desired results due to poor implementation and monitoring. Discuss. (Answer in 250 words) 15

देश में लैंगिक भेदभाव को कम करते हुए
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के
उद्देश्य से 2015 में बेटी बचाओ, बेटी
पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था।

यह योजना के सकारात्मक प्रभाव

- ① इस योजना की शुरुआत के बाद से
जन्म के समय लिंगानुपात में 15 अंकों से
ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
- ② बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात में
वृद्धि हुई है तथा उच्च शिक्षा में यह
पुरुषों से ज्यादा हो गया है।
- ③ यह सकारात्मक परिणामों का ही प्रतीक
है कि भारत में यह योजना लगभग 118
जिलों में शुरू की गई तथा वर्तमान में

सभी जिलों में लागू है।

- ④ NFHS-5 के अनुसार भी बाल लिंगानुपात में वृद्धि के साथ-साथ 'संस्थागत प्रसव' में वृद्धि हुई है।

- ⑤ व्यवसायिक परिवर्तन → 'समय' में कमी।

हालांकि योजना खराब कार्यान्वयन व निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी है →

- ① प्रमुख जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में प्रतिवर्ष 10 घेरो की वृद्धि नहीं।
- ② डापऑडस को फिर से स्कूल से जोड़ पाने में असफलता।
- ③ कच्चा भूण हत्याओं के मामलों में पर्याप्त बमी नहीं।



अतः

* क्या किया जाए ?

- ① जिलावार टारगेट निर्धारित किए जाएं।
- ② निर्धारित फंड का समुचित उपयोग किया जाए।
- ③ आपआइटम को बन करने के लिए स्कूलों में महिला अनुकूल अवसरें बना ली जाएं।

इस तरह देश में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो तथा उनकी काम भागीदारी बढ़ाकर भारत के आर्थिक विकास में प्रतिवर्ष 1.5% की प्रतिशत वृद्धि आ जा सकती है।

19. दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

As security threats increase in form and frequency in the South-West Indian Ocean, discuss the role played by India in relation to small island developing states (SIDS) in the region. (Answer in 250 words) 15

दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में मुख्यतः 5 अफ्रीकी देशों (कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, मैडागास्कर आदि) को शामिल किया जाता है।

इस क्षेत्र में प्रमुख खतरे

- ① समुद्री उर्कती → सोमालियाई तट से निकलने के चलते अधिक सुरक्षितता
- ② जलवायु परिवर्तन → इसके चलते चक्रवात सूखा जैसी आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि।
- ③ अवैध मत्स्यस्यन → कुल मत्स्यस्यन का लगभग $\frac{1}{3}$ हिस्सा अवैध मत्स्यस्यन प्रतः इस पर रोक जरूरी है।

① प्रमुख महाशक्तियों के बीच टकराव → यह क्षेत्र चीन, अमेरिका, फ्रांस भारत जैसे बड़े देशों की नीतियों में प्रमुखता से शामिल है।

SIDS के संबन्ध में भारत द्वारा निभारि गरी भूमिका →

① हिंद महासागर आयोग (IOC) का परमवेक्क सदस्य → इसमें 5 एजिण पश्चिमी हिंद महासागरीय देश शामिल हैं। अतः उनसे निरंतर बार्ता ।

② हिंद महासागर सूचना लैलमान फ्रेन्ड की स्थापना → आपदा पूर्णतमान में मदद

③ SAGAR पहल (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं वृद्धि) → द्वीपीय देशों का विकास सुनिश्चित करना।

④ आपदा के समय मानवीय राहत →

मैदागास्कर में आपदा के दौरान साथ ही कोरोना काल में मदद।

⑤ IONS तथा TORA आदि की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

⑥ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) तथा CDRI (Coalition for disaster Resilient India) जैसी पहलों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद।

इस तरह भारत हिंद महासागर में 'त्रिवल सुरक्षा प्रता' के रूप में अपनी भूमिका का उचित निर्वहन कर रहा है।

20. चूंकि भारत अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है, इसलिए उप-क्षेत्रों के माध्यम से सीमा-पार कनेक्टिविटी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्लेषण कीजिए।

As India re-imagines its neighbourhood, cross-border connectivity through sub-regions is becoming increasingly vital. Analyse. (Answer in 250 words) 15

दक्षिण एशिया में भारत प्रमुख शक्ति के रूप में तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है।

इस संदर्भ में पड़ोसी देशों के साथ सीमा-पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है →

- ① BBIN पहल → इसके माध्यम से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल में यातायात सुविधा को बढ़ाया।
- ② इमर राजमार्ग → भारत-म्यांमार व थाइलैंड में कनेक्टिविटी
- ③ कलादान मल्टी मोडल ड्रांजिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (भारत - म्यांमार)
- ④ मजोरित - अगरतला रेल लाइन (भारत - बांग्लादेश)

⑤ रक्सौल - काठमांडू रेल लाइन और
जयनगर - कुर्ची रेल लाइन
(भारत - नेपाल)

⑥ चौबटार बंदरगाह तथा जराङ्ग-डेलाम
राजमार्ग (भारत - इराक - अफगानिस्तान)

सीमा पार कनेक्टिविटी का महत्व

① आर्थिक महत्व → दक्षिण एशिया में
आपसी व्यापार केवल 5% → अतः इसे
बढ़ाया जा सकेगा।

② क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को प्रतिस्पर्धित
किया जा सकेगा।

③ बंदर कनेक्टिविटी से आपसी व्यापार
की लागत में कमी आएगी।

④ पड़ोस के साथ बेहतर संबंध निर्माण

⑤ आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलेगी।

⑥ अंश में निवेश को बढ़ावा
मिलेगा।

⑦ भारत की महाशक्ति के रूप में उदय
के अनुरूप।

इस तरह भारत सीमा-पार
कनेक्टिविटी परियोजना में इस बात का
पर्याप्त ध्यान रखे कि सबसे पड़ोसी देशों
को उनकी लैंग्विजता का इस्तेमाल न लगे ताकि
भारत के खिलाफ 'बिग ब्रदर सिंड्रोम' से
पड़ोस को बाहर निकाला जा सके।